N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0111   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 05/06/2024 22:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 30/05/2024   Date To (दिनांक तक): 03/06/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 00:00 बजे   Time To (समय तक): 10:40 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/06/2024   Time (समय): 20:15 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004   Date & Time (दिनांक एवं समय) 05/06/2024 22:20:10 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 450 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): PARIWADI KA KHET, PATWAR HALKA NINOR
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** MHAVEER PATIDAR
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** BABU LAL PATIDAR
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PATIDAR MANDIR GALI, DALOT, SALAMGARH, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PATIDAR MANDIR GALI, DALOT, SALAMGARH, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MADAN SINGH		पत्नी:JEEVAN SINGH MOHIL	1. WARD NO-42,SHASTRI NAGAR,SIKAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़। विषयः- कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय् उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि " मैं महावीर पाटीदार पिता बाबुलाल जी पाटीदार निवासी दलोट थाना सालमगढ जिला प्रतापगढ का रहने वाला हु। मैं ठेकेदारी व काश्तकारी का काम करता हु। नीनोर में मेरे व मेरी माता श्रीमती रूकमण बाई व मेरी बहिन लक्ष्मी के नाम से एक चक 28 बीघा जमीन है। जिसकी सीमा जानकारी के लिए मैने तहसीलदार साहब दलोट को आज से करीबन एक महिने पहले रिपोर्ट पेश की थी जिस पर तहसीलदार साहब ने मदनलाल पटवारी साहब पटवार मण्डल दलोट को मेरी जमीन की सीमा जानकारी करने का एक महिने पहले आदेश दिया था। उक्त आदेश को मैने एक महिने पहले पटवारी साहब मदनलाल जी को दे दिया था। परन्तु पटवारी साहब ने अभी तक मेरी जमीन की सीमा जानकारी नही की और मेरे से 25 हजार रूप्ये की रिश्वत मांग रहे हैं, जिस पर मैने काफी विनती की तो पटवारी साहब ने 10 हजार रूप्ये फाईनल लेना तय किया हैं। मेरे से पटवारी साहब मदनलाल जी 10 हजार रूप्ये रिश्वत के मांग रहे हैं। मैं पटवारी साहब को रिश्वत की राशि नही देना चाहता हु। मेरे व पटवारी साहब के बीच आपसी रंजीश व लडाई-झगडा नही हैं तथा ना हि पटवारी साहब से मेरी दुश्मनी हैं। मैरे व पटवारी साहब मदनलालजी के बीच आपस में कोई लेन-देन बकाया नही है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।" दिनांकः- 30.05.2024 ही/- महावीर पुत्र श्री बाबुलाल पाटीदार निवासी पाटीदार मंदिर गली दलोट पुलिस थाना सालमगढ़ जिला प्रतापगढ़। मो.नं. कार्यवाही पुलिस दिनांक 01.06.2024 समय 10.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 30.05.2024 को श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस महोदय ए.सी.बी. उदयपुर रेंज उदयपुर राज कार्य से गया हुआ बाद फारीक दिनांक 31.05.2024 को श्रीमान आयुक्त विभागीय जांच विभाग राजस्थान जयपुर व श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर, में आवश्यक राजकार्य करता हुआ उपस्थित हुआ हु। दिनांक-30.05.2024 को समय 11.48 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर ार ब्यूरो मुख्यालय की हेल्पलाईन नम्बर 1064 से जरिये मोबाईल अवगत करवाया गया कि परिवादी महावीर पाटीदार निवासी दलोट ने मोबाईल नम्बर से कॉल कर बताया कि मेरी 28 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिए पटवारी पटवार हल्का दलोट रिश्वत राशि की मांग कर रहा हैं परिवादी से सम्पर्क कर कार्यवाही करें। जिस पर समय 11.50 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी महावीर पाटीदार निवासी दलोट के मोबाईल नम्बर पर फोन किया तो एक बार परिवादी ने फोन रिसीव नही किया। जिस पर समय 12.11 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी महावीर पाटीदार निवासी दलोट के मोबाईल नम्बर पर पुनः फोन किया तो परिवादी महावीर पाटीदार ने बताया कि मेरी 28 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिए मदनलाल पटवार हल्का दलोट 10 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को बताया कि मैं राजकार्य हेतु उदयपुर आया हु। आप भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ के ऑफिस में आओं वहां पर आपको हेमेन्द्र सिंह कानि. मिलेगें उनको एक रिपोर्ट पेश करना एवं आगे की कार्यवाही के बारे में परिवादी को समझाया गया। समय 12.19 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं के मोबाईल नम्बर से कार्यालय में कार्यरत हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर निर्देशित किया गया कि परिवादी महावीर पाटीदार अभी ऑफिस आ रहा हैं आप परिवादी से एक हस्त लिखित रिपोर्ट ले लेना तथा कार्यालय हाजा की आलमारी से मिनी डिजीटल टेप रिकार्डर मय मूल मैमोरी कार्ड निकलावाकर परिवादी को उसके संचालन की विधि समझाई जावें तथा परिवादी महावीर पाटीदार निवासी दलोट मय डिजीटल टेप रिकार्डर को लेकर वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु निजी मोटरसाईकिल से दलोट की तरफ रवाना होवे। समय 04.26 पी.एम. पर हेमेन्द्र सिंह कानि. ने जरिये मोबाईल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ को अवगत करवाया गया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मन कानि. व परिवादी महावीर पाटीदार निवासी दलोट मय टेप रिकार्डर को वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु ब्यूरों कार्यालय से करिब 2.10 पीएम पर दलोट के लिये रवाना जरिये प्राईवेट मोटरसाईकिल से होकर पटवार मण्डल दलोट से कुछ दुरी पर खडे रहकर मन कानि. ने श्रीमान के आदेशानुसार टेप रिकार्डर को परिवादी श्री महावीर पाटीदार को उसके संचालन की विधि समझाई जाकर समय 03.49 पीएम पर डिजीटल वॉईस टेप रिकार्डर को परिवादी को श्री मदनलाल पटवारी पटवार मण्डल दलोट से वार्तालाप करने हेतु सुपूर्द किया जाकर रवाना किया गया। मैं

कुछ दुरी पर मकान के आस-पास खडा रह कर परिवादी के आने का इंतजार करने लगा। करीबन 16 मिनिट में परिवादी ने वापस आकर मुझे टेप रिकार्डर सुपूर्द किया और बताया कि मेरी पटवारी मदनलाल से बात हो गई हैं। उन्होने पूर्व में बताये अनुसार 10 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की हैं। जिसमें से 4 हजार रूपये रिश्वत राशि अभी ले ली हैं इसके बाद मेनें पटवारी साहब से रूपये कम करने की विनती करने पर पटवारी साहब ने 4 हजार रूपये रिश्वत और लाने की कहा। परिवादी ने बताया की पटवारी साहब से वार्ता के दोरान पटवार कार्यालय में अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे जिनकी आवाजे मांग वार्ता में है। जिसपर परिवादी के बताये अनुसार डिवीआर को चलाकर मुख्य अशं चलाकर सूने गये जिसमें आरोपी मदन लाल कहता है " फिर आते है परसु आप आ जाना मेरी फाईल लेकर कचरू का आप भी भिजवा देते नी कचरू का वो तो साहब को देने पडेगें साहब मार्किंग करेंगे" इस पर मौके पर मौजूद अन्य व्यक्ति किसी को फोन पर कहता है की " हलो अरे कहा हो अरे ऐसे कह रहा हुं की फोजी साहब मेरे साथ ही है अरे यूं कह रहा हुं चार हजार ही दे गये एक हजार और देने पड रहे है उनको हां कल उसके पास पंहुचा देना" इत्यादी वार्ता हुई जो डीवीआर में रिकोर्ड हुई है। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि श्री मदनलाल पटवारी साहब रायपुर पटवार हल्का का पटवारी व दो अन्य व्यक्तियों को खुद सम्भालने की व जेब से उनको पैसे देने की बात भी कर रहे थे तथा दिनांक 03.06.2024 सोमवार को बकाया 4 हजार लेकर आ जाना उसके बाद आपकी जमीन की सीमा जानकारी कर देगें। परिवादी श्री महावीर पाटीदार ने भी जरिये मोबाईल हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा बतायी गई उक्त वार्ता की ताईद की। परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासीब की गई तथा श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. को बताया गया कि परिवादी को गोपनियता बरतने की हिदायत कर रूखसत करें। तथा ब्यूरो कार्यालय पहुचं टेप रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखें। आईन्दा परिवादी श्री महावीर से सम्पर्क कर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 02.06.2024 समय 10.00 एएम पर हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 से परिवादी श्री महावीर पाटीदार द्वारा पेश रिपोर्ट मंगवाई गई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एंव मालखाने से डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाकर सुना गया तो पाया गया की श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का दलोट द्वारा परिवादी श्री महावीर पाटीदार की 28 बीगा भूमि के सीमांकन जानकारी के बदले 10,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुये 4000 रूपये रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान प्राप्त करने एंव परिवादी द्वारा विनती करने पर 4000 रूपये और सोमवार को दे देने की कहने की पुष्टी हुई। तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 02.06.2024 समय 12.40 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हेमेन्द्र सिहं कानि0 से मालखाने से डिजीटल वाईस टेप रिकार्डर निकलवाकर मय हेमेन्द्र सिहं के जरिये प्राईवेट वाहन से परिवादी श्री महावीर पाटीदार से मिलने व मौका देखने हेतु दलोट की और रवाना हुआ। दिनांक 02.06.2024 समय 01.40 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा दलोट पहुंच परिवादी महावीर पाटीदार से मोबाईल से सम्पर्क कर एकान्त स्थान पर बुलाया गया परिवादी से सम्पूर्ण मामले की जानकारी ली गई तथा परिवादी के पहचान सत्यापित करने के लिये आधार कार्ड प्राप्त की गई इसके उपरान्त परिवादी श्री महावीर ने बताया की श्री मदन लाल पटवारी पटवार हल्का निनोर तहसील दलोट जिला प्रतापगढ के पटवारी है और मेरी जमीन निनोर पटवार हल्का में आती है। परिवादी श्री महावीर के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री मदन लाल पटवारी के मोबाईल नम्बर पर डिजीटल वाईस रिकार्डर ऑन कर लाउड स्पीकर में वार्ता कराई गई तो आरोपी श्री मदन लाल पटवारी ने कल सोमवार को सीमाकंन कर देने सम्बधित वार्ता की तत्पश्चात परिवादी श्री महावीर को सोमवार दिनांक 03.06.2024 को समय 6.00 एएम पर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यलय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया एंव परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तत्पश्चात वंहा से रवाना होकर परिवादी के बताये अनुसर पटवार हल्का निनोर का मौका देखा गया बाद फारीक कार्यालय हेतु रवाना हुआ। दिनांक 02.06.2024 समय 03.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हेमेन्द्र सिहं कानि0 मय डिजीटल वॉईस रिकार्डर के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कार्यालय उपस्थित हुआ डिजीटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 02.06.2024 समय 08.00 पीएम परजिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग प्रतापगढ को दिनाक 03.06.2024 को प्रात 06.00 एएम पर दो स्वतन्त्र गवाहन उपलब्ध करावाने हेतु पत्र जारी कर जरीये ईमेल प्रेषित किया। दिनांक 03.06.2024 समय 06.00 एएम पर श्री पंकज कुमार कानि0 551 व श्री राजेश कुमार कानि0 555 ब्यूरों ईकाई बांसवाडा से इमदाद हेतु ब्यूरों ईकाई प्रतापगढ उपस्थित आये तथा पूर्व पाबंद शुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री गोपाल लाल तेली से सम्पर्क नही होने एंव स्वतन्त्र गवाहन का मोबाईल स्वीच ऑफ आने से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि0 मानसिहं को निर्देश दिये की जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भीक शिक्षा विभाग प्रतापगढ से सम्पर्क कर श्री गोपाल लाल तेली के स्थान पर अन्य स्वतन्त्र गवाहन बुलावे। दिनांक 03.06.2024 समय 06.30 एएम पर परिवादी श्री महावीर पाटीदार एवं पूर्व पाबंद शुदा स्वतन्त्र गवाहन गोपाल लाल तेली के स्थान पर तलबिदा स्वतंत्र गवाहन श्री वितेन्द्र कुनिया पिता आनन्दीलाल कुनिया जाति जैन उम्र 59 साल निवासी नई आबादी प्रतापगढ थाना प्रतापगढ जिला प्रतापगढ हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जिला प्रतापगढ श्री अजय मीणा पुत्र श्री भंवर लाल जी जाति मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी अम्बामाता का खैडा गोपालपुरा थाना प्रतापगढ तहसील व जिला प्रतापगढ हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मु.प्रा.शि. प्रतापगढ ब्यूरो कार्यालय पर मय कार्यालय आदेश के उपस्थित

हुये कार्यालय आदेश शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर ट्रेप कार्यवाही के संबंध में दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो दोनो गवाहन ने अपनी-अपनी मौखिक सहमती दी जाने पर परिवादी श्री महावीर पाटीदार एवं दोनो स्वतंत्र गवाहानो का आपस में परिचय कराया गया तथा उक्त कार्यवाही से अवगत कराते हुये परिवादी द्वारा दिनांक 30.5.2024 को पेश हस्त लिखित कार्यवाही रिपोर्ट को दोनो गवाहन को पढ कर सुनाई गई सुन समझ सही मान दोनो गवाहन ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 30.05.2024 व परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत मांग के सम्बध में हुई मोबाईल वार्ता दिनांक 02.06.2024 की वार्तायें जो ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड है को कार्यालय के मालखाने से श्री सुरजमल कानि0 से निकलवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी की उपस्थिती में सुनाई गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने उक्त वार्ताओं से रिश्वत राशि मांग की पूष्टी की। दिनांक 03.06.2024 समय 07.00 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष, परिवादी श्री महावीर पाटीदार एंव आरोपी मदन लाल पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 30.05.2024 जो कि कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर से हेडफोन कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट हेमेन्द्र सिहं कानि0 नम्बर 82 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों गवाहान परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 03.06.2024 समय 08.00 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के डिवीआर में परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत मांग के सम्बध में हुई मोबाईल वार्ता दिनांक 02.06.2024 समय 2.07 पीएम पर हुई जिससे कार्यालय डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर से हेडफोन कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट हेमेन्द्र सिहं कानि0 नम्बर 82 से पृथक से तैयार करवाई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 03.06.2024 समय 8.15 एएम पर उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री मदन लाल पटवारी पटवार हल्का दलोट जिला प्रतापगढ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री महावीर पाटीदार से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार हैः- क्र. स. नोट का प्रकार नोटो के नम्बर 01 500 रूपये का एक नोट नंबर 9ER 007415 02 500 रूपये का एक नोट नंबर 5DH 583512 03 500 रूपये का एक नोट नंबर 8MW 095185 04 500 रूपये का एक नोट नंबर 5FW 831592 05 500 रूपये का एक नोट नंबर 3BG 486794 06 500 रूपये का एक नोट नंबर 8AN 466092 07 500 रूपये का एक नोट नंबर 8LB 298593 08 500 रूपये का एक नोट नंबर 1QC 258585 उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री राजेश कुमार निनामा कानि0 न. 555 से मालखाना से फिनोफ्थलीन की शिशी मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 4000/- रूपयें के समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री राजेश कुमार निनामा कानि0 से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री वितेन्द्र कुनिया से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के दाहीनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री राजेश कुमार निनामा कानि0 से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री सुरज मल कानि से दो प्लास्टीक के पारदर्शी डिस्पोजल की गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री राजेश कुमार निनामा कानि0 के बारी बारी से दाहिने हाथ एंव बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी, परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री राजेश कुमार निनामा कानि0 से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त दोनो प्लास्टीक के पारदर्शी डिस्पोजल की गिलास को भी नष्ट करवाया जाकर श्री राजेश कुमार कानि के हाथो को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी को उसकी मांग अनुसार 4000/- रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त टे्प पार्टी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के

पश्चात सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे या मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर या श्री हेमेन्द्र सिहं कानि0 के मोबाईल पर कॉल करे यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात श्री राजेश कुमार निनामा कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः मालखाने में रखवाई गई। दिनांक 03.06.2024 समय 08.30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री वितेन्द्र कुनिया व श्री अजय मीणा मय श्री सुरज मल कानि0 मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के रवाना होते हुये साथ में परिवादी श्री महावीर पाटीदार के निजी वाहन में कानि0 हेमेन्द्र सिहं को डिजीटल वॉईस रिकार्डर के तथा प्राईवेट टेक्सी वाहन डिजाईर में श्री मुकेश हैड कानि0 श्री पंकज कुमार कानि0 श्री मानसिहं कानि0 कस्बा दलोट के लिये रवाना हुये। दिनांक 03.06.2024 समय 09.20 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान उपरोक्त फिगरा का ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ से कस्बा दलोट पंहुच मदन लाल पटवारी के सरकारी आवास एंव पटवार कार्यालय के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम रहकर मेरे निर्देश पर कानि हेमेन्द्र सिहं ने परिवादी को डिवीआर चालु कर पटवार कार्यालय की और रवाना किया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री महावीर ने आकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की आरोपी श्री मदन लाल पटवारी कार्यालय व अपने निवास पर नही है जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहायान के मौके से रवाना हुआ व रतलाम रोड की और कुछ दुरी पर एकान्त जगह रोड के साईड में रूक कर परिवादी श्री महावीर पाटीदार के मोबाईल नम्बर [redacted] ाउड स्पीकर पर रखकर समय करिब 09.40 एएम पर आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर डीवीआर चालु करवाकर कॉल करवाया गया तो आरोपी ने बताया की मैं अभी डॉ साहब कुनिया खेडी वाले के यंहा नपती कर रहा हुं वहां से फ्री होकर तेरे खेत पर आयेगे जरीब खिचने वाले तैयार रखना उक्त वार्ता को डिवीआर में रिकार्ड की गई उसके उपरान्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय परिवादी अपने अपने वाहनो से परिवादी के पटवार हल्का निनोर में स्थित खेत पर पहुचं परिवादी श्री महावीर पाटीदार के खेत पर बने भवन में आरोपी श्री मदन लाल पटवारी के आने का ईन्तजार में मुकिम रहे। दिनांक 03.06.2024 समय 10.33 एएम पर परिवादी श्री महावीर पाटीदार ने बताया की श्री मदन लाल पटवारी आ रहे है पटवारी को आता देख मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि0 हेमेन्द्र सिहं को डिवीआर चालु कर परिवादी को सुपूर्द करने के निर्देश दिये जिस पर कानि0 हेमेन्द्र सिहं द्वारा परिवादी को डिवीआर चालु कर सुपूर्द कर परिवादी के खेत पर स्थित मकान के बाहर भेजा तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान अपनी अपनी उपस्थिती छुपाते हुये मकान के भीतर परिवादी के निर्धारित ईशारे में मुकिम रहे। दिनांक 03.06.2024 समय 10.40 एएम पर परिवादी श्री महावीर पाटीदार ने आरोपी श्री मदन लाल पटवारी को 4000 रूपये रिश्वत राशि देने का कानि0 हेमेन्द्र के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता व दोनो स्वतन्त्र गवाहन भवन से बाहर निकलकर परिवादी के पास पहुचें तथा परिवादी ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर मैनें अपने पास सुरक्षित रखा। इसके बाद परिवादी ने भवन के साईड में स्थित आम के पेड के निचे बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा करते हुये बताया की ये ही मदन लाल पटवारी साहब है जिन्होने अभी अभी मुझसे मेरे 28 बिघा भुमि सीमाकंन की वार्ता करते हुये 4000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने शर्ट की जेब रख ली है जिस पर ब्यूरों जाप्ता श्री मानसिहं कानि0 व श्री पंकज कानि0 द्वारा मदन लाल पटवारी के पास पहुच कर उसके दोनो हाथो को पकड लिया जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देते हुये उक्त व्यक्ति से अपना नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री मदन सिहं पुत्र श्री जीवन सिहं मोहील उम्र 58 वर्ष जाति राजपुत निवासी वार्ड नम्बर 42 शास्त्री नगर पुलिस थाना उद्योग नगर तहसील व जिला सीकर हाल पटवारी पटवार हल्का निनोर तहसील दलोट जिला प्रतापगढ होना बताया तथा आरोपी के पास खडे व्यक्ति को अपना नाम पुछा तो उसने अपना नाम दशरथ पुत्र कचरू डांगी उम्र 42 वर्ष निवासी लुपडी थाना अरनोद जिला प्रतापगढ होना तथा पटवारी श्री मदनसिंह के साथ पटवारी सहायक (ग्राम प्रतिहारी) के रुप में कार्य करना बताया। जिस पर आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी को परिवादी श्री महावीर से 4000/- रूपये रिश्वत राशि किस बात के ग्रहण किये पुछा तो आरोपी मदन सिहं पटवारी घबरा गया और कांपने लगा जिस पर आरोपी को यथा स्थिती रखते हुये व श्री दशरथ को साथ लेकर परिवादी के खेत पर बने भवन के भीतर ले जाकर पानी पिलाया और पुनः उक्त रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो आरोपी मदन सिंह पटवारी ने बताया की मेरे साथ जो नपती करने वाले मजदुर आते है उनको देने पडते है इसलिये लिये है । इस पर परिवादी श्री महावीर पाटीदार ने बताया की पटवारी साहब झुठ बोल रहे है उक्त राशि मेरे खेत के सीमांकन करने के लिये मेरी माता श्रीमती रूकमणी बाई व बहन लक्ष्मी के नाम से निनोर गांव में 28 बीघा जमीन है जिसकी सीमा जानकारी के लिये तहसील कार्यालय दलोट जिला प्रतापगढ में रिपोर्ट देने पर तहसीलदार दलोट द्वारा पटवारी साहब को मेरी जमीन की सीमा जानकारी के लिये आदेश जारी किया गया, जिस पर पटवारी साहब द्वारा एक महिने से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद भी मेरे बार बार कहने पर भी सीमा जानकारी नही की और टालमटोल करते रहे जिस पर मेरे द्वारा ब्यूरों की हेल्पलाईन नम्बर 1064 पर दिनांक 30.05.2024 को शिकायत दर्ज कराई गई और पटवारी साहब ने दिनांक 30.05.2024 को मेरे से 4000 रूपये रिश्वत के ले लिये और मेरे द्वारा रूपये कम करने की विनती करने पर 10000रूपये के जगह 8000/- रूपये रिश्वत देने को कहा जिस पर आज मेने इनकी मांग अनुसार बकाया 4000 रूपये रिश्वत राशि के दिये है जो उन्होने अपने हाथ में लेकर दौनो हाथो से गिन

कर अपनी शर्ट की जेब में रखे है। जिस पर मौके पर उपस्थित स्वतन्त्र गवाह् वितेन्द्र कुनिया से आरोपी मदन सिहं पटवारी की शर्ट की जेब की तलाशी लिवाई गई तो 500-500 के कुछ नोट मिले जिनको स्वतन्त्र गवाहन से गिनवाया जाकर फर्द पेशकशी नोट नम्बर से मिलान किया गया तो 500-500 के 8 नोट कुल 4000/- रूपये राशि हुबहु हुई जो निम्नानुसार है:- क्र.स. नोट का प्रकार नोटो के नम्बर 01 500 रूपये का एक नोट नंबर 9ER 007415 02 500 रूपये का एक नोट नंबर 5DH 583512 03 500 रूपये का एक नोट नंबर 8MW 095185 04 500 रूपये का एक नोट नंबर 5FW 831592 05 500 रूपये का एक नोट नंबर 3BG 486794 06 500 रूपये का एक नोट नंबर 8AN 466092 07 500 रूपये का एक नोट नंबर 8LB 298593 08 500 रूपये का एक नोट नंबर 1QC 258585 तत्पश्चात् परिवादी एवं आरोपी मदन सिहं पटवारी पटवार हल्का के कथनों से रिश्वत राशि ग्रहण की स्वीकारोक्ति पर उनके द्वारा ग्रहण की रिश्वत राशि के बारें में प्रमाणिकता हेतु निजी वाहन मे से श्री सुरजमल कानि0 से टे्प बॉक्स मंगवाया गया। टे्प बॉक्स में सें दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में श्री मानसिंह कानि. से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी के बांयें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुई शर्ट बरंग हल्की चेक्स वाली के बांयी जेब में रखे जो मौके पर बरामद किये गये, उक्त शर्ट को आरोपी के बदन से ससम्मान उतरवाया जाकर उसके पहनने के लिये अन्य टी शर्ट मंगवाकर पहनवाया गया। तत्पश्चात् टे्प बॉक्स में सें एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उनमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में श्री मानसिंह् कानि. से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा उक्त घोल में आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी की पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब को उलटवाकर डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क S-1 व S-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त शर्ट को एक कपडे की थैली में सीलचीट कर मार्क S अंकित कर चीट पर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात् बरामद शुदा उक्त नोटों पर एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट बंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री अजय मीणा से लिवाई गई तो आरोपी की पेन्ट की बांयी जैब से अलग-अलग नोटों की गड्डीयां मिली उक्त नोटो को गिनवाया गया तो एक गड्डी में 500-500 के 77 नोट कुल 38,500 रुपये, 200-200 के 05 नोट कुल 1000 रुपये कुल 39,500 रुपये तथा दुसरी गड्डी में 500-500 रुपये के 05 नोट, 100-100 रुपये के 05 नोट कुल 3000 रुपये तथा तीसरी गड्डी में 500 का 01 नोट 200-200 के 08 नोट, 100-100 के 18, 50 का 01 नोट व 10 रुपये के 07 नोट कुल 4020 रुपये उपरोक्त तीनों गड्डियों की राशि कुल 46,520 रुपये हुए। उक्त राशि के बारें में आरोपी से पुछताछ की गई तो बताया की 39500 रुपये मेरे एचडीएफसी बैंक ब्रांच प्रतापगढ़ में लोन के जमा कराने के लिये अपने बैंक खाते से निकाले है तथा अन्य 3000 रुपये के बारें में बताया कि यह मेरी पिछले माह की सैलेरी से बचे हुए है व 4020 रुपये के बारें में बताया कि ये रुपये मैने खर्चेपानी के रखे हुए है। आरोपी के उक्त 46,520 रुपये को संदिग्ध राशि मानते हुए कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी तथा परिवादी श्री महावीर पाटीदार के मध्य आपस में साधारण कॉल पर हुई रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व हुई मोबाईल वार्ता होना पाये जाने से आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी के मोबाईल फोन को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाना आवश्यक होने से उक्त मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा। मौके पर उपस्थित श्री दशरथ डांगी पटवारी सहायक(ग्राम प्रतिहारी) से आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी द्वारा परिवादी श्री महावरी पाटीदार से रिश्वत राशि 4000/- रुपये ग्रहण करने बाबत् पुछताछ की गई तो श्री दशरथ डांगी ने बताया कि मैं पटवारी साहब के पास वर्ष 2013 से काम कर रहा हूं ये राशि पटवारी साहब किस बात के लिये है मुझे कोई जानकारी नही है एंव कार्यवाही के दोरान श्री गोविन्द पुत्र पुना जी जाति गायरी निवासी सालमगढ तहसील दलोट जिला प्रतापगढ जिससे मौके पर आने के बारे में पुछताछ की गई उक्त दौनो का पुछताछ नोट पृथक तैयार करने हेतु श्री दशरथ डांगी एंव श्री गोविन्द गायरी को पुलिस चौकी निनोर पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि मौके पर ही पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मौके पर ही उपरोक्त कार्यवाही की श्री हेमेन्द्र सिहं कानि0 के मोबाईल से विडीयोग्राफी करवाई गई। दिनांक 03.06.2024 समय 12.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महावीर पाटीदार की निशांदेही से

फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर गवाहान एवं संबधितो के हस्ताक्षर कराये। दिनांक 03.06.2024 समय 12.50 पीएम पर टे्प कार्यवाही करने हेतु घटनास्थल परिवादी के खेत पर बना मकान जिसमें बैठने की व्यवस्था नही होने एंव बिजली के बार बार आने जाने व कार्यवाही में व्यवधान उत्पन होने से पास ही स्थित पुलिस चौकी निनोर के लिये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिटेन शुदा आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता मय टे्प बॉक्स, जप्तशुदा रिश्वत राशि व संदिग्ध राशि मय जप्तशुदा आर्टीकल व लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधान के मौके अपने-अपने वाहनों से रवाना हुए रास्ते में आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी का सरकारी आवास की खाना तलाशी एवं पटवार कार्यालय की तलाशी एवं परिवादी के सीमांकन जानकारी से संबधित आदेश प्राप्त करने हेतु पटवारी के कार्यालय पहूंचे जहां पटवार कार्यालय खुला मिला जहां सुश्री राधा धाकड़ महिला पटवारी पटवार हल्का चंदेरा उपस्थित मिली। जिस आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी को परिवादी के सीमांकन जानकारी संबधित आदेश देने हेतु कहा तो आरोपी द्वारा अपने टेबल पर रखी पत्रावली में से तहसीलदार भूं अभिलेख दलोट जिला प्रतापगढ़ के कार्यालय पत्रांक भू0अ0/ सीमांकन/2024/68 दिनांक 01.05.2024 सीमांकन करने बाबत् आदेश निकालकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। उक्त आदेश पर संबधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामील कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात् आरोपी के कार्यालय की तलाशी स्वतंत्र गवाहन लिवाई गई तो कोई संदिग्ध राशि/दस्तावेज बरामद नही हुआ। समय 01.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिटेन शुदा आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी, दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता के आरोपी के सरकारी निवास स्थान पर पहूंच स्वंतत्र गवाहान के समक्ष निवास की खाना तलाशी ली गई, जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिटेन शुदा आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता मय टे्प बॉक्स, जप्तशुदा रिश्वत राशि व संदिग्ध राशि मय जप्तशुदा आर्टीकल व लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधान के अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस चौकी निनोर की और अपने-अपने वाहनों से रवाना हुये व समय 02.10 पीएम पर पुलिस चौकी निनोर पहुंचे अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के सम्बध में थाना अधिकारी सालमगढ से सम्पर्क कर चौकी का एक कक्ष खुलवाया गया चौकी पर पूर्व पाबंद शुदा श्री दशरथ पुत्र श्री कचरू डांगी निवासी लुपडी थाना अरनोद जिला प्रतापगढ एंव श्री गोविन्द पुत्र पुना जी जाति गायरी निवासी सालमगढ तहसील दलोट जिला प्रतापगढ उपस्थित मिले जिनसे आवश्यक पुछताछ की जाकर पुछताछ नोट पृथक पृथक तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 03.05 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिटेन शुदा आरोपी श्री मदन सिहं पटवारी, परिवादी श्री महावीर पाटीदार मय स्वतन्त्र गवाहन व ब्यूरों जाप्ता के मय टे्प बॉक्स, जप्तशुदा रिश्वत राशि व संदिग्ध राशि मय जप्तशुदा आर्टीकल व लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधान के पुलिस चौकी निनोर पर लाईट की बार बार कटोती एंव ग्रामीण क्षैत्र होने से लोगो की भीडभाड जमा हो जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही ब्यूरों ईकाई प्रतापगढ पर किया जाने हेतु पुलिस चौकी निनोर से अपने अपने वाहनो से रवाना हुये व समय 04.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान ब्यूरों ईकाई प्रतापगढ पर पहुंचा प्रकरण में जब्त शुदा रिश्वत राशि एंव सदींग्ध राशि व आर्टीकल मालखाना प्रभारी श्री सुरज मल कानि0 को सुपूर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाकर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 04.50 पीएम पर श्री मांगी लाल अहारी, भूं-अभिलेख निरीक्षक, वृत बडी साखथली जिला प्रतापगढ ब्यरो इकाई प्रतापगढ़ उपस्थित आये जिन्हें प्रकरण में दिनांक 30.05.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 03.06.2024 को जरिये मोबाईल हुई वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता में आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी की आवाज की पहचान हेतु तहरीर जारी कर दी गई तथा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड वार्ता को हेडफोन की सहायता से चलाकर बारी बारी से सुनाया गया तो उपरोक्त वार्ताओं में एक आवाज आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी की होने की पहचान करते हुए पत्र पर आरोपी की आवाज पहचान की तस्दीक कर अपने हस्ताक्षर किये पत्र को शामील कार्यवाही किया गया। समय 05.20 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दौनो स्वतन्त्र गवाहों के समक्ष रिश्वत लेने देन से पूर्व परिवादी श्री महावीर पाटीदार के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री मदन सिहं पटवारी के मोबाईल नम्बर पर समय 09.40 एएम पर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर कर आरोपी से वार्ता करवा गई जिससे डिवीआर में रिकोर्ड की गई उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि हेमेन्द्र सिहं से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.50 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महावीर पाटीदार एंव आरोपी मदन लाल पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 03.06.2024 को समय 10.33 एएम पर हुई जिसे ब्यूरों कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर से हेडफोन कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट हेमेन्द्र सिहं कानि0 नम्बर 82 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों गवाहान सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दौनो स्वतन्त्र गवाहों के समक्ष रिश्वत ग्रहण करने के उपरान्त मौके पर उपस्थित श्री गोविन्द गायरी के मोबाईल पर समय 10.52 एएम पर अन्य व्यक्ति का कॉल आया जिसमें अन्य व्यक्ति कहता है पिछे आ ना तो गोविन्द कहता है साहब यह बात नही करने दे रहे है तेरे से तो अन्य व्यक्ति है कहकर फोन काट देता है उपरोक्त हुई वार्तालाप का नोट दर्ज किया गया। समय 07.40 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही डिवीआर मे दर्ज परिवादी तथा आरोपी की वार्ता जो दिनांक 30.05.2024 को समय 03.49 पीएम पर परिवादी

श्री महावीर पाटीदार व आरोपी श्री मदन सिहं की रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एंव दिंनाक 02.06.2024 को 02.10 एएम पर परिवादी श्री महावीर पाटीदार के मोबाईल नंबर से आरोपी के मोबाईल नंबर पर हुई मोबाईल वार्ता, दिनांक 03.06.2024 को समय 0940 एएम पर परिवादी श्री महावीर पाटीदार के मोबाईल नंबर से आरोपी के मोबाईल नंबर पर लेन देन से पूर्व हुई वार्ता एंव दिंनाक 03.06.2024 को समय 10.33 पर परिवादी श्री महावीर पाटीदार व आरोपी श्री मदन सिहं की रूबरू हुई रिश्वत लेन देन वार्ता एंव उपरोक्त कार्यवाही के सम्बध में अन्य तीन वार्ता कुल 07 वार्तायें डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर 04 सीडी तैयार करवाई गई 01 सीडी माननीय न्यायालय हेतु, 01 सीडी नमुना आवाज हेतु तथा 01 सीडी आरोपी हेतु तथा 01 सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार करवा उपरोक्त 04 सीडीयो पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। अनुसंधान अधिकारी की सीडी को खुला रखा गया शेष 03 सीडीओ को पृथक-पृथक कपडे की थेली में रखकर सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिये गये। फर्द डंबिंग सीडी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल की गई। उक्त मेमोरी कार्ड मे सेव समस्त वार्ता एंव सीडीयो की हेश वेल्यु निकाली जाकर दोनो का मिलान किया गया तो सही पाया गया। समय 08.30 पीएम पर दौराने टेªप कार्यवाही दिनांक 30.05.2024 परिवादी श्री महावीर पाटीदार व आरोपी श्री मदन सिहं की रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एंव दिंनाक 02.06.2024 को पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, दिनांक 03.06.2024 परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन से पूर्व हुई वार्ता एंव दिंनाक 03.06.2024 को परिवादी व आरोपी श्री मदन सिहं की रूबरू हुई रिश्वत लेन देन वार्ता एंव उपरोक्त कार्यवाही के सम्बध में अन्य तीन वार्ता कुल 07 वार्तायें डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित रिकार्ड की गई उक्त मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का माईक्रो एसडी 32 जीबी बरंग काला को वजह सबुत जब्त कर मेमोरी कार्ड के कवर में रख कर सफेद कपडे की थेली में डाल कर सीलचीट कर मेमोरी कार्ड को "मार्क-M " अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.30 पीएम पर आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी पटवार हल्का निनोर की जामा तलाशी के दौरान मिले मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी का बरंग स्काई ब्लयु होकर उसमें एक मोबाईल एयरटेल कम्पनी की सीम लगी हुई है जिसके नम्बर है। उक्त मोबाईल फोन को उक्त कार्यवाही में प्रकरण में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क " M-1" अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द मोबाईल जब्ती पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.50 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी श्री मदनसिंह पुत्र श्री जीवन सिंह मोहील उम्र 58 वर्ष जाति राजपुत निवासी वार्ड नम्बर 42 शास्त्री नगर पुलिस थाना उद्योग नगर तहसील व जिला सीकर हाल पटवारी पटवार हल्का निनोर तहसील दलोट जिला प्रतापगढ को अन्तर्गत धारा 41 (1) (बी) सीआरपीसी के तहत आरोपी के० गिरफ्तार किये जाने के कारणों के संबंध में चैक लिस्ट तैयार की जाकर उसके द्वारा किये गये जुर्म अर्न्तगत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 यथा संशोधन 2018 से अवगत कराया जाकर हस्बकायदा गिरफतार किया गया। तथा गिरफ्तारी के संबंध में उसके अधिकारो से अवगत कराया गया। फर्द गिरफतारी हस्वकायदा पृथक से मुर्तीब कर मुतालिकीन को पढ़कर सुनाई गई। सुन समझ सही मान सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। गिरफ्तारी की सूचना जरिये मोबाईल अभियुक्त के पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह को दी गई। समय 10.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी मदनसिंह पटवारी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं लेनदेन वार्ता में उसकी आवाज ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड होने से उसे उसकी आवाज का नमूना देने हेतु पत्रांक एसपीएल-5 दिनांक 03.06.2024 एवं आरोपी के विरुध की गई ट्रेप कार्यवाही के संबन्ध में अपने बचाव में स्पष्टीकरण पेश करने हेतु पत्रांक एसपीएल-4 दिनांक 03.06.2024 दिया गया। जिस पर आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी ने उक्त पत्रो पर आवाज का नमूना के संबंध में "मैं अपनी आवाज का नमुना नही देना चाहता हु" एवं स्पष्टीकरण के संबंध में " मैं अपना स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय में पेश करुंगा" अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर जवाब प्रस्तुत किया। पत्र की प्रतियों को शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.50 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुरजमल कानि0 मय सरकारी वाहन मय चालक धनराज एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी को वास्ते स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण के रात्रि निगरानी हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ़ दाखिल हवालात कराने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 04.06.2024 समय 01.30 एएम पर श्री सुरजमल कानि0 मय सरकारी वाहन मय चालक धनराज द्वारा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी को ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ से रवाना हो राजकीय सावलिया चिकित्सालय प्रतापगढ़ पहुचं आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करा एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण के रात्रि निगरानी हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ़ में दाखिल हवालात करा प्राप्ति रसीद एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। प्राप्ती रसीद व स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट को शामील पत्रावली किया गया। समय 8.00 एएम पर इस समय श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 मय श्री सुरजमल कानि0 मय सरकारी वाहन मय चालक धनराज गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी पुलिस थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ़ से प्राप्त करने हेतु रवाना किया गया। समय 8.40 एएम पर श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 मय श्री सुरजमल कानि0 मय सरकारी वाहन मय चालक धनराज गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मदनसिंह पटवारी पुलिस थाना

कोतवाली जिला प्रतापगढ़ से प्राप्त करने हेतु गये हुये आरोपी श्री मदन सिहं पटवारी पटवार हल्का निनोर तहसील दलोट जिला प्रतापगढ को पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त कर मय रोजनामचा रपट के हाजीर कार्यालय आये रोजनामचा रपट शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक 04.06.2024 समय 02.00 पीएम पर श्री मांगीलाल आहारी हाल ऑफिस कानूनगो दलोट जिला प्रतापगढ कार्यालय तहसीलदार दलोट भू अ जिला प्रतापगढ के पत्र क्रंमाक 383 दिनाक 04.06.2024 द्वारा आरोपी श्री मदन सिहं पटवारी पटवार हल्का निनोर तहसील दलोट जिला प्रतापगढ के सेवा सम्बधित सेवा विवरण लेकर ब्यूरों कार्यालय उपस्थित होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। प्रकरण में आरोपी श्री मदनसिंह् पटवारी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जरिये मोबाईल मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री मदनसिंह् पटवारी पटवार हल्का निनोर ने परिवादी श्री महावीर पाटीदार से उसके, उसकी माता श्रीमती रूकमणी बाई व बहन लक्ष्मी के नाम से निनोर गांव में 28 बीघा जमीन है, जिसकी सीमा जानकारी के लिये तहसील कार्यालय दलोट जिला प्रतापगढ में रिपोर्ट देने पर तहसीलदार दलोट द्वारा श्री मदन सिंह् पटवारी पटवार हल्का निनोर को परिवादी की उक्त जमीन की सीमा जानकारी के लिये आदेश जारी किया गया। जिस पर आरोपी मदन सिहं पटवारी पटवार हल्का निनोर द्वारा एक महिने से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद भी परिवादी के बार बार कहने पर भी सीमा जानकारी नही की और टालमटोल करता रहा। जिस पर परिवादी श्री महावीर पाटीदार द्वारा ब्यूरों की हेल्पलाईन नम्बर 1064 पर दिनांक 30.05.2024 को शिकायत दर्ज कराई गई। उक्त शिकायत पर ब्यूरों ईकाई प्रतापगढ द्वारा परिवादी से सम्पर्क कर दिंनाक 30.05.2024 को ही रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया गया जिस पर आरोपी श्री मदन सिहं पटवारी पटवार हल्का निनोर द्वारा परिवादी से 10000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करते हुये 4000 रूपये रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान प्राप्त की एवं परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने की विनती करने पर कुल 8000 रूपये लेने पर सहमत हुआ जिसमें से बकाया 4000 रूपये रिश्वत राशि सोमवार को लाने के लिये कहा। जिस पर दिनांक 03.06.2024 को नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी को शेष 4000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडा गया है। इस प्रकार आरोपी श्री मदनसिंह् पटवारी पटवार हल्का निनोर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिश्वत राशि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जो, जूर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः श्री मदन सिहं पुत्र श्री जीवन सिहं मोहील उम्र 58 वर्ष जाति राजपुत निवासी वार्ड नम्बर 42 शास्त्री नगर पुलिस थाना उद्योग नगर तहसील व जिला सीकर हाल पटवारी पटवार हल्का निनोर तहसील दलोट जिला प्रतापगढ के विरूध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय, (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ राजस्थान ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट विक्रम सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ , ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मदन सिह् पुत्र जीवन सिह् हाल पटवारी पटवार हल्का निनोर तहसील दलोट जिला प्रतापगढ़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी कैलाश सिंह सांदू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ , को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 77 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 566-69 दिनांक 05.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 जिला कलक्टर प्रतापगढ़ । 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KAILASH SINGH SANDU **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/06/2024 22:2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)